**Om Kumar Singh**
Assistant Professor,
Dept. of Political Science,
D.B. College Jaynagar, Madhubani,
(A Constituent Unit of L.N.M.U. Darbhanga)

---

दिनांक: 16/07/2020

स्नातक (प्रतिष्ठा) द्वितीय खण्ड

राजनीति विज्ञान

तृतीय पत्र ( भारतीय शासन एवं राजनीति)

अध्याय-4 (मूल अधिकार और मूल कर्तव्य )

व्याख्यान संख्या:14

---

## मूल अधिकार का अर्थ

---

वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान के माध्यम से नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं।

## मूल अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व-

---

(1) मूल अधिकार लोकतंत्र के आधार स्तम्भ माने जाते हैं। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है।



Scanned with CamScanner

**Om Kumar Singh**
Assistant Professor,
Dept. of Political Science,
D.B. College Jaynagar, Madhubani,
(A Constituent Unit of L.N.M.U. Darbhanga)

(2) मूल अधिकारों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनके बिना उचित रूप में नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता।

(3)यह एक देश के राजनीतिक व्यवस्था में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने हेतु नितांत आवश्यक है। चूँकि लोकतंत्रात्मक राज्यों में 'बहुमत तानाशाही' का डर हमेशा बना रहता है।
(4) मूल अधिकार व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

इस प्रकार, मूल अधिकार नागरिकों को न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं और राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं। यह मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों हैं। इस कारण इनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है। वर्तमान युग में कोई राजनीतिक दर्शन इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है।



Scanned with CamScanner